



आरंभिक बिहार का सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास एक

सर्वेक्षण; 200 ई.पू.—600 ई. तक

सचिन कुमार

सचिन कुमार, पीएच.डी. शोधर्त्थी, अंतिम वर्ष, इतिहास—विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

शोधसार : आरंभिक बिहार से संबंधित कुछ स्रोतों के माध्यम से उस क्षेत्र की सामाजिक स्तरीकरण, वस्तुस्थिति विशेषकर निचले समुदायों के सन्दर्भ में जांच पड़ताल की गई है। साथ ही उस समय की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी इसे भी यहां देखने का प्रयास किया गया है। जो हमें आरंभिक बिहार की मिली—जुली सांस्कृतिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

किसी भी समय के समाज निर्माण में उस काल की अर्थव्यवस्था प्रमुख भूमिका निभाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसा ही समाज का निर्माण होगा, एवं बदलते अर्थव्यवस्था के अनुरूप समाज में भी कई मूलभूत परिवर्तन होंगे, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है।

यहाँ बिहार के क्षेत्रों से संबंधित सामाजिक पहलुओं का जिक्र किया जा रहा है, कि हमारे शोध काल के दौरान इन क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। इस पर सूक्ष्म प्रकाश डाल रहा हूँ, जिसमें कुछ पुरातात्विक और कुछ साहित्यिक स्रोतों से मिली जानकारी को रखा गया है, जो अलग—अलग जगहों से प्राप्त हुई है। जैसा कि सामाजिक संगठन वैदिक काल से ही आरंभ हो गया था लेकिन इसमें इतनी ज्यादा कठोरता नहीं थी, जितना कि हमें उत्तर वैदिक काल एवं विशेष रूप से गुप्त काल में देखने को मिलती है। जैसे—जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, समाज चार वर्णों में विभाजित होता गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, वैदिक काल में जहाँ व्यक्ति की पहचान व्यवसाय आधारित था वही अब ये पहचान जन्म आधारित होने लगी।

कीवर्ड : समाज, आर्थिक, राजनीति, पुरातत्व, साहित्य।

यहाँ हम मेगस्थनीज के वर्णन को मगध क्षेत्र के सन्दर्भ में रख सकते हैं जैसा कि इतिहासकारों का भी मानना है, कि मेगस्थनीज ने, जिन भारतीय समाजों को सात वर्गों में बांट कर उनका वर्णन किया है। वह मुख्य रूप से मगध के और उसके आस—पास के क्षेत्रों का है। ये वर्ग इस प्रकार है— दार्शनिक, किसान, सिपाही, चरवाहे, दस्तकार, दंडनायक और पार्षद।¹ एरियन भी सात वर्गों की बात करता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं² विभिन्न जातियों के बारे में आम टिप्पणी करते हुए मेगस्थनीज ने लिखा है— अपनी जाति के बाहर कोई विवाह नहीं कर सकता और न ही अपना व्यवसाय छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय कर सकता है।³ परंतु किसी और जगह उसने लिखा है कि दार्शनिक पर यह नियम लागू नहीं होता है, और उसे अपने गुण के कारण यह विशेषाधिकार दिया गया है।⁴

पुरातत्वविदों ने सोनपुर⁵ से हाथी दांत के पन्द्रह अलग—अलग वस्तुएँ प्राप्त की है। सभी लेट मौर्यकाल एवं कुषाण काल की हैं। इनमें लेखनी, सिर में लगाने वाले कील, बाल के सजावट के लिए काँटा इत्यादि शामिल चिराँद, वैशाली एवं कुम्रहार से भी हाथी दांत की बनी

वस्तुएँ प्राप्त हुई।⁶ इन स्रोतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे सर्वेक्षण काल के दौरान व्याप्त समाज में ऐसे शिल्पकारों की, विभिन्न जातियों के होने के प्रमाण मिलते हैं, जो विभिन्न प्रकार के शिल्पों का निर्माण करते थे। वहीं वैशाली के उत्खनन से पता चलता है कि 378 तरह के मृदभाण्ड प्राप्त होते हैं, जो हमें उस समय बर्तन बनाने वाले वर्गों के बारे में बताते हैं, वही इस काल में स्वर्णकार, चाटाई बनाने वाले लोहाकार, लोहारद्ध कुम्हार इत्यादि जैसे जातियों का अस्तित्व का अभास होता है। जो समाज के एक हिस्से के रूप में विद्यमान थे। हम देखते हैं कि मौर्यों के सेनापति पृष्यमित्रा शुंग जो कि एक ब्राह्मण था, क्षत्रिय वर्ग के कार्य में लगा हुआ था। इसी प्रकार हम यदि अपने समय के पश्चिमी समकालीन पश्चिम में सातवाहनों को भी देखें तो, वे भी नये-नये ब्राह्मण से क्षत्रिय धर्म में आ रहे थे। वही यदि गुप्तों को भी आगे चल कर देखें तो वह भी शासक वर्ग के रूप में दिखाई पड़ रहे थे, जिन्हें इतिहास में विवादास्पद रूप से वैश्य कहा गया है। इस तरह हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ये सभी एक दूसरे के पेशों को अपना रहे थे। लेकिन कहीं भी ऐतिहासिक साक्ष्यों में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता है, जिसमें शूद्रों या निचली जातियों के लोगों को इस तरह के पेशों को अपनाता हुआ दिखाया गया हो, फिर भी इतिहासकारों का मानना है, कि शूद्रों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में काफी परिवर्तन आया। जबकि शूद्रों की स्थिति दिन-प्रतिदिन और गिरती गई।

आगे हम देखते हैं कि बौद्धकाल में विशेष रूप से मगध क्षेत्र में इस वर्ग क्रम में कुछ बदलाव होता है। बौद्ध साहित्यों के अनुसार क्रम इस प्रकार मिलता है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इससे यह आभास होता है कि बु(के समय में क्षत्रिय के मुकाबले ब्राह्मणों का स्तर मगध क्षेत्रों में संभवता नीचा था, यहाँ स्वयं बु(भी एक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे।

वर्ण-व्यवस्था की परवर्तीन कालीन कठोरता मौर्यकाल में नहीं थी, परंतु इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ब्राह्मणों की प्राथमिकता और उनके विशेषाधिकारों का मानना एक आम बात बन चुकी थी।⁷

ब्राह्मणों ने राजकार्य में पुरोहित के नेतृत्व की भूमिका का संकेत पहले ही था⁸, अर्थशास्त्रा में भी इस पर बल दिया।⁹ बौद्धकाल में ब्राह्मणों की सामाजिक और आर्थिक हानि होने लगी एवं मौर्यों के बाद विदेशी शासकों का लगातार भारत के अलग-अलग क्षेत्रों पर प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जिससे भारतीय समाज की वर्णव्यवस्था चरमराने लगी, अतः ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ होते देख इस तरह के नियम, कानून बनाने लगे, जिससे वर्ण व्यवस्था स्थायी बनी रहे तथा उनकी सर्वोच्चता कायम रहे, जो मनुस्मृति जैसे ग्रन्थों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है। जिसमें विशेष कर शूद्रों एवं स्त्रियों के लिए कई ऐसे कठोर नियम बनाये गए जो उस समय के समाज के रूढ़िवादिता को दर्शाती है।

लेकिन हम गुप्तकाल में ब्राह्मणों को अलग-अलग क्षेत्रों में भूमि और गाँवों को अनुदान के रूप में प्राप्त करते हुए पाते हैं, जिनमें से कई अनुदान-पत्रा बिहार के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जैसे गया, नालंदा इत्यादि। जिनमें कुछ शर्तों के साथ उन्हें उस क्षेत्र से पूरी तरह कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो रहा था, जो समाज के ब्राह्मणों के बदलते स्वरूप को दिखा रहा था। लेकिन मौर्य और मौर्यत्तर काल के ब्राह्मणीकल स्रोतों से ऐसा नहीं लगता कि ब्राह्मणों ने सभी शाही करों से छूट का आनंद लिया।¹⁰ जैसा कि हमें गुप्त और उसके बाद के कालों में दिखाई पड़ता है।

मधुरासूत्रा¹¹ राज्य में एक अपराधी चाहे वह ब्राह्मण हो या किसी अन्य जाति का उसे मार डाला जायेगा। मृच्छकाटिका में उल्लेख मिलता है, एक ब्राह्मण चारुदत्त को राजा द्वारा मौत की सजा सुनाई गई।¹² अर्थशास्त्रा में भी उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण को मौत की सजा से छूट

नहीं थी। मनु ने भी यह कहा कि कोई ब्राह्मण यदि राजा के खिलाफ जाये तो उसे मार डालना चाहिए।¹³ यहाँ इन सभी बातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्चता का स्थान जरूर प्राप्त था, अन्य वर्गों की अपेक्षा लेकिन यदि ब्राह्मण भी राज्य के विरुद्ध कुछ गलत करता है जिससे राज्य को हानि होती है, तो उन्हें भी वही दण्ड दिया जाता जो अन्य लोगों को जो राज्य को सर्वोपरी दिखाता है।

लेकिन दूसरी-तीसरी शताब्दी से स्मृति के लेखकों ने ब्राह्मणों को दोषी होते हुए भी मृत्यु दण्ड नहीं दिये जाने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार सूत्र साहित्य में योग्य ब्राह्मण जो पुरोहित सेवाओं में होते थे बड़ी संख्या में घरेलू अनुष्ठानों में हिस्सा लेते थे, जिनके बदले उन्हें संरक्षण मिलता था।¹⁴

तीसरी सदी के शुरुआत से परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही थी। पहले के स्रोतों में ब्राह्मणों को कभी-कभी ईश्वरीय रूप में भी उल्लेख मिलता है, उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण देवताओं और मानव के बीच का देवता है¹⁵ जो ब्राह्मण के महत्त्व को दर्शाता है।

ठीक इसी प्रकार क्षत्रियों के सन्दर्भ में भी कुछ बदलाव नजर आते हैं। उनकी स्थितियाँ भी लगातार समय के साथ बदल रही थी, जहाँ वैदिक काल में ब्राह्मण प्रथम दर्जे पर स्थापित था वही बौद्ध काल में यह दर्जा क्षत्रियों को प्राप्त हो गया जिसकी जानकारी हमें बौद्ध साहित्यों से मिलती है। ब्राह्मण और क्षत्रियों में यह स्थान पाने एवं शासक बनने की होड़ शायद शुरू से ही थी।

मौर्यकाल के बाद तो यह पूरी तरह से दिखाई भी पड़ने लगी थी, बाहर से नये-नये आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करने लगे एवं यहाँ अपना अधिपत्य स्थापित किया। विशेषकर कुषाणों ने जो लम्बे समय तक शासन किया एवं जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों का दर्जा भी प्राप्त हुआ, जो कि एक जनजाति कबीले से संबंध रखता था, यह दृश्य इस समय हमें पश्चिम में भी दिखाई पड़ रहा था, जहाँ गौमतीपुत्रा शाप्तकर्णी एक ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभा रहा था, एवं साथ ही उनके अभिलेखों में यह भी दावा पेश किया गया कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को पिफर से स्थापित कर दिया तथा वर्णों के मिश्रण को रोक दिया, जो उस समय के राजा का प्रथम कर्तव्य माना गया। इससे यह भी पता चलता है कि जो लोग वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे थे उनके ही द्वारा वर्णव्यवस्था स्थापित भी करने की बात की जा रही थी।

वही गुप्तकाल में गुप्त शासकों द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ एवं अन्य कई तरह के यज्ञों का आयोजन किया जा रहा था, जो नये बने क्षत्रियों को वैधता प्रदान करने का एक तरीका भी था जैसा कि आर.एस. शर्मा ने भी अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ, 1992 में दिखाया है। क्योंकि गुप्तों को इतिहास में वैश्य के रूप में जाना जाता था, यह हमें हमारे निरीक्षण अवधि के दौरान होने वाले बड़े बदलाव को दिखाते हैं, जो इस काल में चल रहा था।

क्षत्रियों का कार्य अपने क्षेत्रों में खेतों की रक्षा करना एवं बदले में उनसे कर प्राप्त करना था, साथ ही राज्य में व्यापार को बढ़ावा देना एवं व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करना ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था बनी रहे।

वैश्यों के सन्दर्भ में भी कुछ ऐसा ही था। वैश्य एक ही समय में पशु पालने, व्यापारी और एक ही समय में कृषक का भी कार्य करते थे।¹⁶

लेकिन पिफर धीरे-धीरे समय के साथ वैश्य किसानों और पशुओं को रखने का कार्य छोड़ने लगे और वे मुख्य रूप से व्यावसायिक गतिविधियों को अपनाने लगे। वैश्यों के एक व्यापारिक वर्ग के रूप में, उद्भव का अध्ययन हम सूत्र ग्रन्थ, स्मृति और पौराणिक साहित्य की तुलना द्वारा भी कर सकते हैं।

बौध्दान गृहसूत्रा में कहा गया है कि सेक्रीपफाइसिंग, कलटीवेटींग द स्वाईल, व्यापार, पशु के रखरखाव वैश्य का पेशा है।¹⁷ जैसा कि आगे चलकर हम देखते हैं कि इस संदर्भ में हेन-सांग¹⁸ का प्रमाण भी इस संबंध में महत्वपूर्ण है। चीनी यात्री के अनुसार इस समय वैश्य मुख्य रूप से वाणिज्य के काम में लगे हुए थे। ब्रह्मनारदीय पुराण में भी व्यापारियों के एक विशेष जाति जिसे वानिक कहा गया का उल्लेख करते हैं।

बिहार में वैश्यों का विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तरह के व्यापारिक गतिविधियों का पता वहाँ से प्राप्त पुरातात्विक श्रोतों से भी होता है। वैशाली आधुनिक बसाढ़ जो मुजफ्फरपुर से 24 मील दूर एक महत्वपूर्ण शहरी केन्द्र था, वहाँ से 274 मुँहर पाई गई हैं।, जो बैंकरों, व्यापारियों और कारीगरों की निगम के रूप को दर्शाता है¹⁹, इसके अलावा इसी तरह की मुहर पाटलीपुत्रा में भी उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई हैं जो मौर्य काल के बाद बिहार में वैश्यों के व्यापारिक संगठन के अस्तित्व का आभास कराता है। कुम्रहार से खुदाई के दौरान एक मुहर प्राप्त हुई जो प्रारंभिक गुप्त काल की है, जो पान विक्रेताओं के श्रेणी को इंगित करता है, अब लोग अलग-अलग तरह के व्यावसायों से जुड़ने लगे थे।

कई ऐसे विधि ग्रंथ भी इस काल में मौजूद थे जो वैश्यों को शूद्रों की कोटी में रखे हुए थे। मिलिदपन्हों²⁰ ने वैश्य और शूद्र के लिए एक ही प्रकार के कार्यों को इंगित किया है जबकि इस काल में वैश्यों को द्विज का दर्जा भी प्रदान किया गया।

शूद्रों को समाज के सबसे नीचले पायदान पर रखा गया, चाहे वह वैदिक काल हो, मौर्य काल, कुषाण या पिफर बु(का काल। ये सभी काल कुछ न कुछ परिवर्तन के ही काल थे, जैसा कि हमारे महान इतिहासकार मानते हैं ब्राह्मण से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण, ब्राह्मण से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय हो रहे थे, लेकिन एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसमें हमारे अध्ययन अवधि के दौरान निचली जातियों का सामाजिक सम्मान ब्राह्मण या क्षत्रियों के बराबर हुआ हो। पिफर यह कैसा परिवर्तन और संक्रमण काल?

जहाँ इनकी स्थिति निम्न से निम्न होती जा रही थी, और अन्ततः समापन छूआ-छूत के साथ होता है। जैसा कि साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है और बिहार जैसे राज्यों में आज भी यह पूरी मजबूती के साथ बना हुआ है।

प्राचीनकाल में शूद्रों का काम था उच्च वर्णों के लिए श्रम की आपूर्ति करना किन्तु गुप्तकाल के बाद उनका काल था शिल्प और विशेषकर किसानों के रूप में उत्पादन का कार्य।²¹

अब वे उत्पादन पति में श्रम सेवाओं के मांग के अलावा राज्य के कराधन के मुख्य लक्ष्य को भी शूद्र पूरा करने लगे। पतांजलि लोहारों के एक वर्ग का जिक्र करता है, जो लोहे का काम करता है, जो उसकी जाति को संबोधित करता है। कुम्रहार से खुदाई के दौरान एक मुहर प्राप्त हुई जो प्रारंभिक गुप्तकाल की है जो पान विक्रेताओं की श्रेणी का उल्लेख करता है। जो शायद पान बेचने वाली जाति की ओर इंगित करता है। सोना उद्योग से हमारे समय काल में सोनार जाति का भी उल्लेख मिलता है।

मनु²² ने शूद्रों के दस श्रेणियों का जिक्र किया जिनमें लोहार, सोनार, टोकरी बनाने वाले, कुत्तों का शिकार करने वाले, धेबी, शराब-बेचने, वाले इत्यादि। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सब जिन्हें शिल्पकार के रूप में देखा गया, उन्हें वास्तव में शूद्र की श्रेणी में रखा गया, जिनमें से कुछ आज भी अछूत की श्रेणी में मौजूद है। इसके अलावा और भी कई साहित्यिक स्रोत हैं जिनमें इन्हें तथा साथ ही अन्य नयी जातियों को भी शूद्रों की श्रेणी में रखा गया।

समाज में इनकी स्थिति किस प्रकार की थी इसका उल्लेख भी मनु और पाणिनी द्वारा प्राप्त होता है। मनु के अनुसार स्नातक को शूद्रों का अन्न नहीं खाना चाहिए।²³

स्नातक को जिनका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए उसमें शामिल है, लोहार, निषाद, अभिनेता, स्वर्णकार, टोकरी निर्माता, शिकारी कुत्ते पालने वाले, शराब चुराने और बेचने वाले, धेबी, रंगरेज शामिल किये गये हैं।²⁴ पंतजलि के अनुसार, बड़इयों, धोबियों और लोहारों ने जिस थाली में भोजन किया है, उसे अच्छी तरह सापफ करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।²⁵

पी.बी. काणे ने अपनी पुस्तक धर्मशास्त्रा का इतिहास खण्ड-1 में यह जिक्र किया कि पफाह्यान ने बताया है कि जब कोई चंडाल किसी नगर या बाजार के भीतर प्रवेश करता था तो वह लड़की के टुकड़ों से आवाज करता हुआ चलता था, ताकि लोग, पहले ही समझ जाएं कि चंडाल आ रहा है और उनके स्पर्श से बचने की कोशिश करें।

शर्मा "शूद्रों ने न केवल अपने को उच्च वर्गों की बराबरी में लाकर बल्कि अपने को अछूतों से श्रेष्ठ बताकर अपना ओहदा बढ़ाया ताकि ब्राह्मणिक समाज की सोपान-पंक्ति में वे अपने से नीचे की जाति के प्रति मिथ्या अभिमान कर सकें।"²⁶ संभावित है कि ब्राह्मणों ने अपनी महत्ता बनाये रखने के लिए भी इनके बीच इस तरह की श्रेणीब(ता का बीज बोया होगा।

मनु के अनुसार यदि शूद्र किसी ब्राह्मण नारी के साथ उसके मन के अनुसार या विरु(सम्भोग करे तो उसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए। किन्तु यदि कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मणी के साथ बलात्कार करे तो उस पर एक सहस्रा कार्षापण का दण्ड और जब केवल व्याभिचार करे तो 500 का दण्ड लगता था।²⁷

शूद्र न तो न्यायाधीश²⁸ हो सकता था और न धर्म का उद्घोषक। ब्राह्मण उसी शूद्र के यहाँ भोजन कर सकता था जो उसका पशुपालक, हलवाहा या वंशाक्रम से मित्रा हो या अपना नाई या दास हो ;गौतम, मनुद्ध। वही शूद्र जो पहले ब्राह्मण के घर में रसोइया हो सकता था, और ब्राह्मण उसका पकाया भोजन कर सकता था क्रमश अछूत होता चला गया।

हमारे काल अवधि के दौरान बिहार में महिलाओं की वास्तविक स्थिति किस प्रकार थी, इसका बहुत ज्यादा पता नहीं लगता है। इसके लिए हमें मुख्य रूप से इस समय के जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के आधार पर कुछ जानकारी प्राप्त होती है जिसमें महिलाओं से संबंधित आभूषण एवं महिला मूर्तियाँ इत्यादि शामिल है।

चिरांद, वैशाली, कुम्रहार, सोनपुर से कापफी संख्या में त्वचा घिसने वाले रबर प्राप्त हुए हैं। कुम्हार से जो महिला मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि महिलाएँ अलग-अलग पफैशन शैलियों में अपने बालों को तैयार करती थी।²⁹

चंपा से चांदी चढ़ाया हुआ बाल क्लिप प्राप्त हुआ है,³⁰ इन सब बातों से पता चलता है कि उस समय की महिलाएँ विभिन्न तरह के सौन्दर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करती थी। लेकिन यह जानकारी हमें कुलीन वर्गों की स्त्रियों और नगर के बारे में प्राप्त होती है ना कि सामान्य महिलाओं के बारे में, इस काल में इस क्षेत्रा से संबंधित शायद कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता जिनसे हमें अध्ययन काल के दौरान महिलाओं के कुछ अधिकारों की बातों का पता चल सके।

पिफर भी अर्थशास्त्रा एवं अन्य दूसरे साहित्यिक स्रोतों के आधार पर महिलाओं के स्थिति पर कुछ प्रकाश जरूर पड़ता है। हमारे काल से पहले हमें आम्रपालि के सम्पत्ति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है जो वैशाली में रहती थी।³¹

अतः हम देख सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से जटिल दिखाई पड़ती है जिसमें कापफी स्तरीकरण मिलता है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

मगध के राजनीतिक इतिहास में कई ऐसी घटनाएँ घटी जिनका असर आने वाले समयों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा जिनमें मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरकर सामने आया। चन्द्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नन्दों को हराया एवं स्वयं गद्दी पर बैठा। चन्द्रगुप्त के बाद इसका उत्तराधिकारी के रूप में बिन्दुसार मगध का शासक बना। बिन्दुसार के बाद उसका पुत्रा अशोक सम्राट बना। जो शायद अपने भाईयों की हत्या करके यहाँ तक पहुँचा, पिफर भी अशोक के समय में मगध का चौतरपफा विकास हुआ। यह जानकारी उनके द्वारा जारी किये गये अभिलेखों से प्राप्त होती है, जो भारत के अलग-अलग जगहों से प्राप्त हुआ है। इनसे हमें अशोक के समय के प्रशासन, समाज, आर्थिक और धर्मिक परिपेक्ष्यों की जानकारी प्राप्त होती है तथा इन अभिलेखों के माध्यम से हमें अशोक के राजनीतिक क्षेत्रापफल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।

अशोक ने साम्राज्य को सम्पूर्ण मजबूती के साथ बनाये रखने के लिए अलग-अलग तरह के उपायों का प्रयोग करते रहते थे। कभी अभिलेखों के माध्यम से तो कभी धम्म मात्रा के द्वारा, अशोक के समय तक तो मगध अपने चरम सीमा पर था, पर अशोक की मृत्यु के बाद, पूरे मौर्य साम्राज्य का विघटन होना आरम्भ हो गया। उसके बाद अशोक के उत्तराधिकारियों में इतनी दूरदर्शिता नहीं थी, कि वे इस साम्राज्य की सुचारु रूप से बनाये रख सके हालांकि मौर्य साम्राज्य के पतन के संबंध विद्वानों का अपना अलग-अलग मत है। यहाँ पर मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्रा शुंग ने कर दी, एवं राजगद्दी संभाली, हालांकि यह राजनीति का मुख्य आधार है कि शीर्ष तक पहुँचने के लिए किसी की हत्या भी करनी पड़े तो की जा सकती है।

बृहस्पतिमित्रा³² बताता है। कि वह मगध राजा था, जो दक्षिणी बिहार के एक बड़े भाग पर शासन करता था। कुछ साहित्यिक स्रोतों जिनमें शुंग और कण्व शामिल है जिसमें³³ कहा गया है कि उनके साम्राज्य मगध और गंगा के किनारों के क्षेत्रा सम्मिलित है, जो गुप्तों को भी छूता है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई, लेकिन यह भी एक अल्पकाल के लिए ही साबित हुई और इसका पतन हो गया। इसके बाद के इतिहास के लिए हमें पुराणों और इस क्षेत्रा से प्राप्त अभिलेखों के द्वारा गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती वही लिच्छवी³⁴ गणराज्य का उत्तरी बिहार की राजधनी में कापफी महत्व था, जो उस समय के दक्षिण बिहार की राजनीति को प्रभावित करती थी। जयसवाल के अनुसार लिच्छवियों का मगध पर शासन था, जिसकी जानकारी जयदेवा द्वितीय के नेपाल अभिलेख से प्राप्त होती है।

वहीं कुषाणों के सन्दर्भ में ए.एस. अल्तेकर³⁵ के अनुसार, बीमा कदपिफस ने अपना शासन बिहार तक बढ़ाया गया क्योंकि बिहार के बक्सर से हमें कुषाणों के 402 सिक्के प्राप्त होते हैं।³⁶ कण्वों के बाद यहाँ किनका शासन था, या पिफर ये किन राजवंशों के अन्तर्गत था इसको लेकर कापफी विवाद है। जैसा कि हमने उफपर चर्चा कि की कुषाणों के सिक्के बिहार के बक्सर, कुम्रहार इत्यादि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन केवल सिक्के प्राप्त होने में हम यह नहीं तय कर सकते हैं, कि यहाँ कुषाणों का शासन था। इनके बाद ऐसा माना जाता है कि मगध गुप्तों के अन्तर्गत चला गया, जिसकी जानकारी हमें गुप्तों के अभिलेखों से मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं, लेकिन पूरी तरह से यह पता नहीं चल पाता कि गुप्तों ने मगध में रहकर शासन किया या पिफर वे केवल इनके राजनीतिक क्षेत्रा के अन्तर्गत ही आते थे। गुप्त शासकों में चन्द्र गुप्त, कुमार गुप्त, स्कन्द गुप्त, बु(गुप्त इत्यादि शामिल थे। जिनमें चन्द्रगुप्त गुप्त वंश में प्रथम शासक था जिन्होंने महाराजधिराज की उपाधि लगाई। साथ ही लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपने साम्राज्य को बढ़ाया एवं मजबूती प्रदान की। इसके बाद गुप्तों के बाद

बिहार शायद कई छोटे-छोटे भागों में बंट गया, और अलग-अलग शासकों के हाथों में चला गया, जिनमें मौखरी भी शामिल थे। शायद यहाँ के कुछ क्षेत्रों पर मौखरीयों ने भी शासन किया। जिसकी जानकारी उनके अभिलेख जो बिहार के क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, इनमें ईशानवर्मन, सर्ववर्मन, अवन्तिवर्मन इत्यादि का जिक्र मुख्य रूप से मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मगध की राजनीतिक इतिहास में कापफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, जो कभी भी किसी एक राजवंश के अंतर्गत नहीं दिखाई पड़ती है।

निष्कर्ष : ऊपर हमने देखा कि इतिहास में समय एवं काल हमेशा के लिए एक समान नहीं होता है, बल्कि यह गतिशील होते हैं। जो समय के अनुसार बदलते हैं। हां यह जरूर देखा गया है कि इस बदलाव के पीछे कोई एक कारण नहीं होता बल्कि भिन्न-भिन्न कारक इसमें मौजूद होते हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां जो जातियां निचले पायदान पर थी उनकी स्थिति में हमें बहुत ज्यादा बदलाव या उत्थान देखने को नहीं मिलता बल्कि इनकी सामाजिक स्थिति समय के साथ और ज्यादा जटिल एवं निम्न होती जाती है। उसी प्रकार शासक वर्गों की स्थिति भी यहां एक समान नहीं दिखाई पड़ती है। कोई भी एक कुल हमेशा के लिए शासक वर्ग नहीं था बल्कि इसमें भी बदलाव होते रहते हैं। जब अलग-अलग समयों में भिन्न-भिन्न वर्गों से शासक वर्ग बने जो हमें अतीत में शासकीय संघर्षों की भी जानकारी प्रदान करते हैं।

संदर्भ सूची

1. थापर, रोमिला, 1977, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, अनु. डी.आर. चौधरी, प्रभा यादव, ग्रंथ शिल्पी, पृष्ठ 56.
2. वही, पृष्ठ 56.
3. वही, पृष्ठ 56.
4. वही, पृष्ठ 56.
5. पाठक, पी.एन. 1988, सोसायटी एण्ड कल्चर इन अर्ली बिहार ,200 ए.डी.-600 ए.डी.द्ध कॉमनवेल्थ पटना, पृष्ठ 83.
6. वही, पृष्ठ 83.
7. थापर, रोमिला, 1977, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, अनु. डी.आर. चौधरी, प्रभा यादव, ग्रंथ शिल्पी, पृष्ठ 56.
8. वही, पृष्ठ 56.
9. वही, पृष्ठ 56.
10. वही, पृष्ठ 18.
11. पाठक, पी.एन. 1988, सोसायटी एण्ड कल्चर इन अर्ली बिहार ,200 ए.डी.-600 ए.डी.द्ध कॉमनवेल्थ पटना, पृष्ठ 4.
12. वही, पृष्ठ 4., 13.वही, पृष्ठ 4.
14. वही, पृष्ठ 23., 15.वही, पृष्ठ 17.
16. वही, पृष्ठ 24.
17. वही, पृष्ठ 25.
18. वही, पृष्ठ 26.
19. वही, पृष्ठ 68.
20. शर्मा, आर.एस. 2007 शूद्रों का प्राचीन इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 177.
21. वही, पृष्ठ 279.
22. पाठक, पी.एन. 1988, सोसायटी एण्ड कल्चर इन अर्ली बिहार ,200 ए.डी.-600 ए.डी.द्ध कॉमनवेल्थ पटना, पृष्ठ 34.
23. वही, पृष्ठ 34.
24. शर्मा, आर.एस. 2007 शूद्रों का प्राचीन इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 193.
25. वही, पृष्ठ 194.
26. वही, पृष्ठ 281.
27. वही, पृष्ठ 281.
28. वही, पृष्ठ 234.
29. पाठक, पी.एन. 1988, सोसायटी एण्ड कल्चर इन अर्ली बिहार ,200 ए.डी.-600 ए.डी.द्ध कॉमनवेल्थ पटना, पृष्ठ 106.
30. वही, पृष्ठ 107.
31. वही, पृष्ठ 105.
32. सिन्हा, बी.पी., पालिटिकल, हिस्ट्री ऑफ साउथ, बिहार, सी. 30 बी.सी. से 319 ए.डी, पेज 766, द कॉम्प्रिहेनसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार, 1974, ,ऐडेटेड, बी.पी. सिन्हा पटना, के.पी. जायसवाल संस्थान।
33. शर्मा, आर.एस., 1974, सोर्सज ऑफ द हिस्ट्री ,प्राचीन, 1-18, ऐडेटेड बी.पी. सिन्हा, कॉम्प्रिहेनसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार, के.पी. जायसवाल, पटना
34. सिन्हा, बी.पी., पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ बिहार, पृष्ठ 767, द कॉम्प्रिहेनसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार, 1974, ,ऐडेटेड, बी.पी. सिन्हा पटना, के.पी. जायसवाल संस्थान।
35. वही, पृष्ठ 767
36. वही, पृष्ठ 767